(वाद सं0.-4861/4/5/2020-WC)

22.06.2021

प्रसंगाधीन मामला रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास थाना अन्तर्गत ग्राम समहुता में 14 बर्षीय एक नाबालिग लड़की को अपहृत कर चार व्यक्तियों द्वारा उसके साथ सामुहिक बलात्कार किये जाने से संबंधित धटना में पुलिस द्वारा लापरवाही वरतने व अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **पुलिस अधीक्षक, रोहतास** के प्रतिवेदन के साथ **अनुलग्नित अप0पु0अधी0–सह–अनु0पु0पदा0,डिहरी** के प्रतिवेदनानुसार " **परिवाद पत्र में वर्णित तथ्य रोहतास थाना कांड संख्या–124/2020, दिनांक–06.07.2020, धारा 366(ए),34 भा0द0वि0 परिवर्तीत धारा 365/366(ए)/370(ए)/376(डी.ए)/120(बी)/34भा0द0वि0 एवं 4(2)/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(1)()/अनु0जाति/जनजाति एक्ट एवं 9/10/11 बाल विवाह निषेघ अधिनियम से संबंधित है। उक्त कांड वादी बबन राम, पिता–स्व0 जोखन राम, ग्राम–समहुता, थाना+जिला– रोहतास के लिखित आवेदन के आधार पर प्रा0अभि0–1.मुन्ना सिंह, पे0–गौरी सिंह 2. राजा कुमार, पिता–विजय चन्द्रवंशी 3. आकाश कुमार, पिता–विजेन्द पासवान तीनों सा0–समहुता एवं 4. शुभम कुमार, पिता–नागेन्द सिंह, सा0–कल्याणपुर सभी थाना +जिला–रोहतास के विरूद्ध अंकित कराया गया है। उक्त कांड को अनुसंधान पर्यवेक्षण से कांड में बनाये गये प्राथमिकी अभियुक्तों के अलावे अप्रा0अभि–1. संतोष कुमार, पिता–रामचन्द पासवान 2. मनोज कुमार सिंह, पिता–महेन्द**

पासवान दोनो सा0– समहुता 3. रोहित राजपुत, पिता–महेन्द सिंह, सा0–बकनौरा 4. सूरज कुमार सिंह पिता–लक्ष्मण राजवंशी सा0–बंजारी 5. मुन्ना की मॉ राजकुमारी देवी पति–गौरी सिंह 6. कंचनदेवी पति–मुन्ना सिंह दोनों सा0– समहुता 7. मुन्ना सिंह के मामा मिथलेश सिंह पिता गोगई सिंह 8. संजीव कुमार पिता– मिथलेश सिंह दोनों सा0–पिपराबसही टोला थाना– कटुम्बा, जिला– औरंगाबाद के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा अनुसंधान क्रम में कांड में सत्य पाये गये अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा कांड के पिड़िता को बरामद कर माननीय न्यायालय के आदेशोपरान्त मेडिकल जॉच कराते हुए धारा–164 द0प्र0स0 के तहत माननीय न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया है तथा अनुसंधानोपरान्त कांड में सत्य पाये गये धाराओं के अन्तर्गत सत्य पाये गये सभी अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–181/2020,दिनांक–18.09.2020 समर्पित किया जा चुका है। कांड का अनुसंधान समाप्त है।"

अब जबकि पुलिस द्वारा प्रसंगाधीन मामले में अनुसंधानोपरान्त 08 नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध **आरोप–पत्र** समर्पित किया जा चुका है तथा उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है व पोड़िता को बरामद भी किया जा चुका है तो ऐसो परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर उक्त मामले मे कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी उक्त के संबंध में संबंधित न्यायालय से विधिनुसार वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

पुलिस अधीक्षक, रोहतास के प्रतिवेदन को स्वोकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **पुलिस अधीक्षक, रोहतास** से प्राप्त प्रतिवेदन(अनुलग्नको सहित) की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक